न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला..............मधुबनी ..

संख्या.–. 114 / 18–19

केश का प्रकार :

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा– 9 के अंतर्गत जमाबंदी सुधार वाद

अर्जीकारः–संजीव कुमार सिंह

प्रतिपक्षी– दीनानाथ प्रसाद

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
04-12-2019	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षियों को पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। आवेदक के आवेदन में प्रतिपक्षी के नाम कायम जमाबंदी संख्या–5303 को रद्द करने का अनुरोध किया गया। निर्धारित तिथि दिनांक– 04.12.2019 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर वकालतन दाखिल जिसकी प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्राप्त किया गया। किन्तु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता पुकार पर अनुपस्थित रहे। प्रतिपक्षी के प्रत्युत्तर में लिखा गया है कि आवेदक एवं विपक्षी के बीच बटवारा केश संख्या– 295 / 2016 सब जज प्रथम, मधुबनी, के न्यायालय में चल रहा है जो विचाराधीन है। विपक्षी ने उक्त बटवारा वाद के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रिमिनल मिसलेनियस वाद संख्या–49 / 2019 दाखिल किया है जो विचाराधीन है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के क्रम में विपक्षी के प्रत्युत्तर पर कोई आपत्ति नहीं की। जब प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला माननीय सिविल न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है वैसी स्थिति में पक्षकारों को उपरोक्त विचाराधीन वादों में आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के क्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने उक्त वाद की कार्यवाही को स्थगित रखने पर अपनी सहमति जाहिर की। अतः आवेदक द्वारा दायर उक्त वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, जयनगर को भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से आदेश से पक्षकारों को अवगत करा देंगे। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। लेखापित 4.12.19 अपर समाहर्ता, मधुबनी। अपर समाहर्ता, मधुबनी। 4.12.19	

निदेशानुसार आदेश की प्रति अंचल अधिकारी एवं ... को भेजा गया ... 307 ... 4.12.19

4.12.19